

०८/६/१०

संख्या-५०७/३५/२६-ब०प्र०-२००९-५००(०९)/२००९

१
जा०
११-६-१०

प्रेषक,

भवनाथ,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

निबन्धक,
सहकारी समितियाँ, उ०प्र०,
लखनऊ ।

६ ७-१

बजट प्रकोष्ठ समाज कल्याण

लखनऊ: दिनांक: ११ जून, २०१०

विषय:- अनुदान संख्या-८३ समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना)-प्रारम्भिक सहकारी ऋण समितियों की अंशपूजी में धन लगाने हेतु ऋण (जिला योजना) हेतु वित्तीय वर्ष २०१०-११ के लिए वित्तीय स्वीकृति ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्रांक-१९३/अधि०/१-९/२०१०-११ दिनांक १५.०४.२०१० के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय उपरोक्त योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष २०१०-११ के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष रूपये-३५,७२,५००-०० (रूपये पैतीस लाख बहत्तर हजार पाँच सौ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति सहर्ष प्रदान करते हैं ।

२- उपरोक्त ऋण की धनराशि संबंधित जिलों को प्रमुख सचिव, राज्य योजना आयोग-२, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या-९१३ /३५-आ-२/ २००९-४६, दिनांक १३ जनवरी, २०१० में जारी किये गये निर्देशों/जनपदों की वर्ष २०१०-११ की जिला योजनाओं के लिये आबंटित अन्तिम परिव्यय को दृष्टिगत रखते हुए अवमुक्त की जाय ।

३- उपरोक्त स्वीकृत ऋण के उपयोग आदि के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-यू०ओ०-२३५अ/२६- ब०प्र०- २०६- ५००(८९)/२००३, दिनांक १७.४.२००६ में उल्लिखित समस्त शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ।

४- विभाग का यह दायित्व होगा कि उक्त धनराशि के व्यय हेतु एस०सी०पी०/टी०एस०पी० हेतु भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानक/दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।


५- शासनादेश दिनांक ०९ अप्रैल, २००७ तथा दिनांक ०८ मई, २००७ में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए उक्त स्वीकृति की जा रही धनराशि के विरुद्ध निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर सम्पूर्ण विवरण/सूचनायें परीक्षण/सत्यापन हेतु समाज कल्याण विभाग को उपलब्ध करायी जाय ।


६- उपरोक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष २००९-१० के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-८३ के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-"६४२५-सहकारिता के लिए कर्ज-आयोजनागत-७८९-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-०३-प्रारम्भिक सहकारी उधार समितियों की अंशपूजी में धन लगाने हेतु ऋण(जिला योजना)-३०-निवेश/ऋण" के नामे डाला जायेगा ।

(2)

7- ये आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-3-1009(1)/दस-2010 दिनांक 07-06-2010 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं ।

भवदीय,



(उमाशंकर सिंह)
मुख्य सचिव, वित्त



(भवनाथ)
विशेष सचिव ।

संख्या-507 (1)/26-ब0प्र0-2010-तददिनांक-

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु पेषित:-
- 1- महालेखाकार, प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
 - 2- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
 - 3- प्रमुख सचिव, सहकारिता विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ।
 - 4- मुख्य लेखापरीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियों एवं पंचायतें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
 - 5- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 सहकारी बैंक लि0, लखनऊ ।
 - 6- वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-4/वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
 - 7- कम्प्यूटर/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ/गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,


(उमाशंकर सिंह)
अनु सचिव ।


21/6/10